कार्यालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 14/2019 (223 आर. टी. एक्ट)

<u>उनवान</u>

1. परसराम } पुत्रगण सोहनलाल जाति जाट, निवासी बैलारा तहसील नदबई जिला
2. चेतराम } भरतपुर।

........................अपीलांट।

बनाम

1. जवाहर पुत्र राम सिंह जाति जाट निवासी बैलारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।

.... असल रेस्पोंडेंट।

3. बहादुर सिंह } पुत्रगण पदम सिंह जाति जाट निवासी बैलारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. राधेलाल }
5. प्रेम पत्नी चेतराम } पुत्रीयान पदम सिंह जाति जाट हाल निवासी धरसोनी तहसील वैर
6. महेन्द्री पत्नी नाहर सिंह } जिला भरतपुर।

.... तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर, नदवई दिनांक 11.02.2019 मि.नं. 553/2008 उनवानी जवाहर बनाम परसराम।

उपस्थितः–

1. श्री कृष्ण कुमार सिंघल वकील अपीलांट।
2. श्री गोविन्द सिंह डागुर वकील रैस्पोडेण्ट।

निर्णय दिनांक–23.02.2021

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, नदबई के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.2019 के विरूद्ध पेश की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि असल रैस्पो0/वादी द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0ए0 विरूद्ध अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण एवं तरतीबी रैस्पोडेण्ट पेश कर खातेदारी अधिकार की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दावा, वाद सुनवाई अंतिम आदेश व डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. [illegible]

उपस्थित होकर, राजीनामा पेश करते हुये, अपील इसी स्तर पर मुताबिक राजीनामा स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

3. राजीनामा प्रस्तुत होने पर, राजीनामा पक्षकारो को पढकर सुनाया गया एवं तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। बहस उभयपक्ष राजीनामा सुनी गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने राजीनामा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि पक्षकारान के मध्य आपस में समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों एवं रिश्तेदारों के समझाने से राजीनामा हो गया है एवं मुताबिक राजीनामा पक्षकार विना किसी दवाव के स्वस्थ्य चित, मस्तिष्क से व राजीखुशी राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कराने हेतु सहमत हैं। लिहाजा मुताबिक राजीनामा अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रैस्पो0 द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा को स्वीकार करने में अनापत्ति जाहिर करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने में सहमति व्यक्त की।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत राजीनामा का गहनता से अध्ययन किया राजीनामा में अंकित है कि ''पक्षकारान के मध्य बाहमी तौर पर आपस में गॉव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने राजीनामा करा दिया है तथा पक्षकारान आपस में मुकदमा नहीं लडना चाहते हैं अतः मुताबिक राजीनामा वाद डिक्रि किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की है'' हमने मनन किया। हस्तगत अपील में पक्षकारो के मध्य राजीनामा होने से प्रकरण में कोई विवाद अथवा आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः हम अपील अपीलाण्ट मुताबिक राजीनामा इसी स्तर पर आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, नदबई के अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2019 निरस्त किये जाते हैं एवं राजीनामा की प्रमाणित प्रति के साथ, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को मुताबिक राजीनामा, मुद्रांक व पंजीयन शुल्क को ध्यान में रखते हुये, राजीनामा पर पुनः उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर, विधि अनुरूप निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पक्षकारों को भी निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.03.2021 को उपस्थित होवें।

8. निर्णय आज दिनांक 23.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

([illegible])
[illegible]